भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 578
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में रिक्तियां

578. एडवोकेट ए.एम. आरिफ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में एलडीए, कॉपिस्ट, टंकक, विधि लिपिक, निजी सचिव, आशुलिपिक, न्यायिक सहायक, शोध सहायक के 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय और देश के सभी 24 उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर लगभग 450 न्यायाधीशों के पद अभी भी रिक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चार उच्च न्यायालयों में अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं ;

(घ) यदि हां, तो श्रेणी-वार रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और सभी रिक्तियों को समयबद्ध ढंग से भरने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के रेफरल और उनमें राज्य की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में गैर-न्यायिक कर्मचारीवृंद की रिक्तियों से संबंधित सूचना संघ सरकार के पास नहीं रखी जाती है, चूंकि यह मामला उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

(ख) : तारीख 13.11.2019 की स्थिति के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय और सभी 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) : मद्रास, मध्य प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कार्य कर रहे थे, तथापि, उपरोक्त उच्च न्यायालयों में नियमित मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहाकार राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाते है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है,

जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रारंभ संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति में निहित होता है।

रिक्तियों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है, चूंकि इसके लिए विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है, अतः रिक्तियों को भरे जाने के लिए कोई समय-सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है। हांलाकि, विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किए गए हैं, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र और उन्नयन के कारण रिक्तिया उद्भूत होती रहती है।

(ङ) : वर्तमान में, तारीख 13.11.2019 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा 248 नामों की सिफारिश की गई थी, जो प्रक्रिया ज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अनुसार, सरकार के पास प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों के अधीन है।

****

उपाबंध

'उच्च न्यायालयों में रिक्तियां' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 578 जिसका उत्तर तारीख 20.11.2019 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण

(तारीख 13.11.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय**	**रिक्तियां**
क	**उच्चतम न्यायालय**	**00**
ख	**उच्च न्यायालय का नाम**	**--**
1.	इलाहाबाद	60
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	बम्बई	29
4.	कलकत्ता	32
5.	छत्तीसगढ	07
6.	दिल्ली	23
7.	गुवाहाटी	06
8.	गुजरात	24
9.	हिमाचल प्रदेश	03
10.	जम्मू - कश्मीर	08
11.	झारखंड़	07
12.	कर्नाटक	23
13.	केरल	15
14.	मध्य प्रदेश	22
15.	मद्रास	21
16.	मणीपुर	01
17.	मेघालय	02
18.	अड़ीसा	13
19.	पटना	26
20.	पंजाब और हरियाणा	35
21.	राजस्थान	28
22.	सिक्किम	0
23.	तेलंगाना	11
24.	त्रिपुरा	01
25.	उत्तराखंड	01
कुल		**420**

****